U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % MkW0 jkt'k 'kekZ] vkbZ-,-,l-

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 06/2021

vihykUV बनाम **jLikMsUVl**

गिराधारीराम पुत्र हरदानराम
जाति–जाट निवासी– फतेहगढ,
जिला जैसलमेर।

1. ठाकराराम
2. तेजाराम
3. वीरमाराम पुत्रान लालाराम वगैराह कुल 19 रेस्पोडेन्ट पक्षकार, निवासीगण फतेहगढ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।
4. तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 17.09.2020 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ जिला जैसलमेर ने राजस्व प्रकरण संख्या 18/2019 ठाकराराम वगैराह बनाम गिरधारीराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री रूपाराम मूंढण, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

fu.kZ;

fnukad% tuojh] 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ जिला जैसलमेर ने राजस्व प्रकरण संख्या 18/2019 ठाकराराम वगैराह बनाम गिरधारीराम वगैराह मे पारित आदेश दिनांक 17.9.2020 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की बहस सुनी गई।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए खसरा संख्या 425 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 425/578 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 436/1240 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 436/1241 रकबा 18 बीघा भूमि ग्राम फतेहगढ में नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु निवेदन किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 17.9.2020 को यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी के अधिन खातेदारी खेत खसरान संख्या खसरा संख्या 425 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 425/578 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 436/1240 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 436/1241 रकबा 18 बीघा भूमि के मोमीट्रेस नक्शा प्राप्त कर तहसीलदार फतेहगढ सम्बन्धित भू0अ0 निरीक्षक व पटवारी उक्त खातेदारी खेत का मौके पर नेखमबन्दी करावे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट (अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक) ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि के चिपते हुए अपीलार्थी एवं अन्य उत्तरदातागण के खेत आये हुए है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के कथनों मात्र के आधार पर एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया जबकि अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना कोई सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध दिनांक 17.9.2020 को रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के पक्ष में नेखमबन्दी किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.9.2020 की जानकारी अपीलान्टस को तहसीलदार फतेहगढ कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.9.2020 की पालना में दिनांक 24.12.2020 को राजस्व कार्मिक उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरान पर नेखमबन्दी करने आये लेकिन खातेदारान की भूमि पर जीरे की फसल खडी होने के कारण नेखमबंदी नहीं की जा सकी। अपीलार्थी एवं रेस्पो0

संख्या एक ता तीन का मूल संयुक्त खातेदारी की कृषि 436 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा व खसरा संख्या 436/574 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 105 बीघा 11 बिस्वा में आया हुआ था जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड एवं कब्जे काश्त अनुसार काबिज थे। अपीलार्थी की भूमि पर ढाणी, टयूबवेल/नलकूप बनाया हुआ है एवं फसल बोई हुई है जिससे अपीलार्थी जीवनयापन करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर फतेहगढ न्यायालय के द्वारा विभाजन सम्बन्धी दिनांक 7.9.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की हुई है। परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.9.2020 के द्वारा अपीलार्थी की उक्त कब्जाशुदा ढाणी की भूमि व नलकूप हडपने पर उतारू है जो अपीलार्थी के हितों पर कुठाराघात है। उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत किये गये नेखमबन्दी प्रार्थना पत्र पर कानून एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित जाकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा पारित दिनांक 17.9.2020 अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित होने एवं एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है।

6. हमने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 18/2019 ठाकराराम वगेराह बनाम गिरधारीराम वगैराह में वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश का तथा उसकी आदेशिकाओं का अवलोकन किया एवं राजव वाद संख्या 93/2016 में जारी डिक्री आदेश इत्यादि दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित/प्रकट किये गये कथनों के सम्बन्ध में मनन किया जिससे यह पाया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के उपरोक्त आवेदन में अप्रार्थीगण के रूप में संस्थित सभी अप्रार्थीगणों को जारी नोटिस उनसे तामील होकर अथवा अदम तामील होकर प्राप्त हुए,

इसका कोई अंकन आदेशिका मे नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से कोई जवाब अथवा उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार यदि पक्षकारान के मध्य कोई विवाद हो तो प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक होता है जो अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं किया जाना पाया जाता है। ऐसे में उल्लेखित समस्त ऑब्जर्वेशनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर अपील प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं अन्य सभी प्रभावित पक्षकारान को पुनः सुनवाई का एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अपील प्रकरण में अंकित वादग्रस्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं अन्य सभी प्रभावित पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 jkt'k 'kek½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/kij